

प्रेषक,

प्रीति शुक्ला,  
विशेष सचिव,  
30प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
चित्रकूट ।

**लोक निर्माण अनुभाग-14**

**लखनऊ: दिनांक- 09 जुलाई, 2018**

विषय-बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट की 01 परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-498/2016/1283/23-14-16-08आ0बु0वि0नि0/16, दिनांक 21.12.2016 द्वारा जनपद-चित्रकूट की 04 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 517.50 लाख के सापेक्ष रू0 260.66 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त की गयी थी, जिनमें विकास खण्ड मऊ के ग्राम अहीरपुरवा मजरा खण्डेहा के सामने स्थित नहर पटरी से दानू बाबा देव स्थान तक पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य की परियोजना भी सम्मिलित है। मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट के पत्र संख्या-950/सी'4, दिनांक 11.05.2018 द्वारा उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 60.00 लाख का उपयोग कर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रपत्र-42 आई0 पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि रू0 142.82 लाख अवमुक्त किये जाने के अनुरोध के दृष्टिगत उक्त 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार द्वितीय किशत के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि आवंटित करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना की कार्यदायी संस्था, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट है:-

**धनराशि (रू0 लाख में)**

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किशत में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय किशत के रूप में धनराशि का आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	विकास खण्ड मऊ के ग्राम अहीरपुरवा मजरा खण्डेहा के सामने स्थित नहर पटरी से दानू बाबा देव स्थान तक पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	202.82	60.00	60.00	100.00
	<b>योग</b>	<b>202.82</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- यह धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन होगा:-

- (1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्यों के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरुपयोग न हो।
- (2) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
- (3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
- (5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेंगे।
- (6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, 30प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।
- (8) मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, 30प्र0 व 30प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।
- (9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, 50प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2019 से पूर्व जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- (11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
- (12) परियोजना के मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
- 4- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।
- 5- उपर्युक्त ₹0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति जनपद-चित्रकूट के उल्लिखित 01 कार्य के लिए दी जा रही है।
- 6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -24-वृहत निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(प्रीति शुक्ला)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या-149/2018/849(1)/23-14-2018-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3- मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा ।
- 4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, चित्रकूट ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।
- 8- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, इलाहाबाद।
- 9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश सिंह)

अनु सचिव।